डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम –हिण्डौन जिला करौली इजलास

पीठासीन अधिकारी :– हेमराज गूर्जर, **R.A.S.**

प्रकरण सख्या:–187/2007 दायर दिनांक:–05.12.2007

जीसीएमएस नं. 2007/00091

1. सुन्दर पुत्र हरिकिशन आयु 40 साल जाति माली निगा कल्याणपुर सायटा (पटपरीपूरा तहसील हिण्डौन जिला करौली राज०।
2. मुनिया बेवा गिर्राज जाति माली निवासी कल्याणपुर सायटा (पटपरीपुरा), तहसील हिण्डौन जिला करौली राज०। मृतक

2/1 संतो पुत्री गिर्राज पत्नी मन्नू जाति माली, निवासी कल्याणपुर सायटा (पटपरीपुरा), तहसील हिण्डौन हालवासी मालीपाडा टोडाभीम, जिला करौली (राज.)

2/2 कौशल्या पुत्री गिर्राज पत्नी नंवर जाति माली. निवासी कल्याणपुर सायटा (पटपरीपुरा), तहसील हिण्डौन, हालवासी वजीरपुर, तहसील वजीरपुर, जिला सवाईमाधोपुर (राज.)

2/3. रक्खो पुत्री हरिकिशन पत्नी शिब्बी, जाति माली, निवासी कल्याणपुर सायटा (पटपरीपुरा), तहसील हिण्डौन, हालवासी मजाजपुर, तहसील वैर, जिला भरतपुर (राज.)

–वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार तामील जरिये जिला कलेक्टर करौली राज०।
2. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील हिण्डौन, जिला करौली राजस्थान ।

– प्रतिवादीगण–

दावा बाबत घोषणा खातेदारी, एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा न0 187/2007

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे हाजिरी श्री मनोज कुमार शर्मा एडवोकेट मिन कानिव मुदई रूबरू प्रतिवादीगण पेरोकार सरकार तहसीलदार हिण्डौन मिन जानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि प्रकरण में वादी अपनी सम्पूर्ण दस्तावेजी व जुबानी सहादत से उक्त वादपत्र को साबित करने में असफल रहा। अतः वादी का दावा खिलाफ प्रतिवादी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 188 अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पक्षकाराण अपना–अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज तारीख 28/02/15 को यह डिक्री जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:51:35 IST
Reason: SelfAttested

(हेमराज गूर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन (जिला करौली)